FROM NO. III

2024/128

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

श्री किशनलाल पिता दल्लीचन्द्र अहीर बनाम श्री मनीष कुमार पिता भेरूलाल

किस्म मुकदमा– पत्थरगढ़ी नं. 118.................... सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
13.05.2024	प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रहलाद सिंह शक्तावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भीलाखेड़ा पटवार मण्डल मोरवन तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 2695/1854 रकबा 1.0120 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह् नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा भीलाखेड़ा पटवार मण्डल मोरवन तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 2695/1854 रकबा 1.0120 हैक्टर/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुक्ममल तौर पर की जावें। पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन [illegible]8.2024 तक न्यायालय [illegible] में प्रस्तुत करें [illegible] प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible] से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.11 16:54:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner